© 2018 IJSRSET | Volume 4 | Issue 4 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099

मानवाधिकार और विकास

डॉ0 रुचि पाण्डेय
एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत,
आगरा कॉलेज, आगरा,उत्तर प्रदेश।

सारांश– हमें समुचित दिशा में सही कदम रखना है तो अधिकारों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बात तब उठती है और झंझावात् बनकर सामने आती है जब व्यक्तिगत स्वार्थभूत होकर कार्य करता है क्योंकि अपने लिए वह अधिकार है और दूसरे के लिए नियम। अतः अपने अधिकारों को देखते हुए हमें दूसरों के अधिकारों का हनन नही करना चाहिए।

मुख्य शब्द–मानवाधिकार, विकास, राष्ट्र, अधिकार, नाकरिक।

किसी भी राष्ट्र का विकास, वहाँ रहने वाले नागरिक पर निर्भर करता है। नागरिक की विचारशीलता, कार्यशैली, चिन्तन प्रक्रिया पर ही विकास आधारित है लेकिन नियम के अन्तर्गत। ''मानवाधिकार'' पर विचार करने से पूर्व हमें ''महाभारत'' के युद्ध पर विचार करना होगा। महाकवि दिनकर ने अपनी रचना कुरुक्षेत्र में यह प्रश्न उठाया है कि क्या युधिष्ठिर अपने अधिकार का त्याग करके महाभारत की युद्ध विभीषिका को रोक नहीं सकते थे ? इतना वृहद् नरसंहार ''अधिकार'' माँगने की ही तो परिणति है ? उत्तर भी वही निहित किया गया हैं यदि अधिकार का परित्याग कर दिया जाता है तो मानव के जीवन की स्वतन्त्रता और सम्मान का हनन हो जाता और वह अपने व्यक्तिगत विकास से भी पिछड़ जाता है। उसकी शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उसको व्यक्तिगत सम्मान व स्थान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। यही नहीं ''मानवाधिकार'' प्राप्त करने के लिए स्त्री, बाल, वृद्ध सभी को उतनी ही स्वतन्त्रता और अधिकार प्राप्त करने का प्रावधान है।

प्राचीन प्रलेखों में तथा धार्मिक और दार्शनिक ग्रन्थों में ''मानवाधिकार'' विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिनमें अशोक के आदेश पत्र तथा मुहम्मद द्वारा निर्मित मदीना का संविधान आदि प्रमुख हैं। जहाँ तक ''मानवाधिकार और विकास' की बात है उसको सुनियोजित और व्यवस्थित कार्यरूप देने के लिए National Human Rights Commission of Indian का October 12, 1993 में गठन किया गया। इतना सब होने के पश्चात् भी यह विचारणीय तथ्य है कि क्या मानवाधिकारों की वास्तविक रूप में सार्थकता है। यह

किसी भी राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार संगठनों के बाद भी परिस्थितियों और जटिल होती जा रही है। जबकि भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसके तोड़ने वाले को अदालत सजा भी देती है।

आधुनिक मानवाधिकार कानून तथा अधिकांशतः व्यवस्थाएँ इतिहास से सम्बन्धित है। **द टवेल्थ आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फोरेस्ट (1525)** को यूरोप में ''मानवाधिकारों'' का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है। यह जर्मनी के किसान विद्रोह स्वाबियन संघ के समक्ष उठाई गई किसानों की माँग का ही एक हिस्सा है। ब्रिटिश **बिल ऑफ राइट्स ने यूनाइटेड किंगडम** में सिलसिलेवार तरीके से सरकारी दमनकारी कार्यवाहियों को वैध करार दिया। 1776 में संयुक्त राज्य में और 1789 में फ्रांस में 18वीं शताब्दी के दौरान दो प्रमुख क्रान्तियाँ घटीं जिसके फलस्वरूप क्रमशः संयुक्त राज्य की स्वतन्त्रता की घोषणा एवं फ्रांसीसी मनुष्य की मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा का अभिग्रहण हुआ। इन दोनों क्रान्तियों ने ही कुछ निश्चित कानूनी अधिकारों की स्थापना की। किसी भी देश की समस्याएँ, अधिकारों को लेकर ही उस देश की विवादित बनाए रखती हैं। अधिकारों की माँग को लेकर ही सोच में परिवर्तन आता है। 'अधिकार' हमारी स्वतन्त्रता को अभिव्यक्ति देता है, जीने का अधिकार देता है लेकिन यह तात्पर्य कदापि नही कि हम अधिकार प्राप्त करने के लिए फलस्वरूप हिंसक हो जाएँ।

''मानवाधिकार'' यथार्थ में समरूपता के लिए ही प्रमुख हैं। यह सिद्धान्त सर्वप्रथम 1948 में विशिष्ट जोर देकर बनाया गया। 1993 में Vienna World Conference on Human Rights में राज्यों को यह कार्य दिया गया कि वे मानवाधिकारों को सुरक्षित करें तथा मूलभूत स्वतन्त्रता दें, न कि राजनैतिक व आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को प्रेरित करें। एक तरह से यह समरूपता लाने के लिए किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। हम चाहे किसी राष्ट्र के हो, स्थान, लिंग, वर्ण, धर्म, भाषा या रहने का कोई भी स्तर दिया गया हो, हम सभी समरूप है, बिना किसी भिन्नता के और इसका हमें अधिकार दिया गया है। अफ्रीकन के साथ रहकर गाँधी जी का भी यही प्रयास था। ''मानवाधिकार'' अधिकार और कर्त्तव्य का सम्मिश्रण है। जब दोनों सांमजस्य बनाकर चलते हैं तो विकास समुचित है।

हमारे आधारभूत अधिकार है : –

- **Right to Equality lekurk dk vf/kdkj**
- Before Law and equal protection of laws.
- Irrespective of religion, race, caste, sex or place of birth.
- Of opportunity in public employment.
- By abolition of untouchability and titles.

स्वतन्त्रता का अधिकार :–

- Of expression, assembly, association, movement residence and profession,

- Of certain protections in respected of conviction for offences.
- Of protection of life and personal liberty.
- Of free and compulsory education for children between the age of '6' and '14' years.
- Of protection against arrest and detention in certain cases.

RIGHTS AGAINST EXPLOITATION

(शोषण के विरुद्ध अधिकार)

- For prohibition of traffic in human beings and forced labour.
- For prohibition of employment of children in a hazardous jobs.

RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION

(धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार)

- Freedom of Conscience and free profession, practice and propagation of religion.
- Freedom to manage religious affairs.
- Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion.
- Freedom as to attendance at religious ins5uction or religious worship in educational institutions wholly maintained by the state.

CULTURAL AND EDUCATIONAL RIGHTS

(सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार)

- For protection of interest of minorities to conserve their language, script and culture.
- For minorities to establish and administer educational institutions of their choice.

RIGHT TO CONSTITUTIONAL REMEDIES

By insuance of directions or order or writs by the Supreme Court and High Court for enforcement of these fundamental rights.

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि हमें समुचित दिशा में सही कदम रखना है तो अधिकारों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बात तब उठती है और झंझावात् बनकर सामने आती है जब व्यक्तिगत स्वार्थभूत होकर कार्य करता है क्योंकि अपने लिए वह अधिकार है और दूसरे के लिए नियम। अतः अपने अधिकारों को देखते हुए हमें दूसरों के अधिकारों का हनन नही करना चाहिए।

कल्याण की कामना : –

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभागभवेत्'

अनुक्रमिणका

1. श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' – रश्मिरथी।
2. श्रीमद्भगवदगीता
3. श्री एच0ओ0 अग्रवाल–मानवाधिकार सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन।
4. श्री एच0ओ0 अग्रवाल–अन्तर्राष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार (नवम् संस्करण–2006)
5. एच0ओ0 अग्रवाल–इन्साइज बुक ऑन इण्टरनेशनल लॉ (प्रथम संस्करण–2007)।